



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक-अवध विहार योजना

प्रथम तल, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9,

वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ-226025

website:www.upavp.com, e-mail:avadhviharlko@upavp.com



पत्र सं-11927 / सं0प्र0अवध विहार योजना /

दिनांक-10-10-017

सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा स्व-वित्त पोषित योजना के अंतर्गत अवध विहार योजना, लखनऊ में सरयू एन्क्लेव सेक्टर-7डी में 2बीएचके+स्टोर के 488 नग एवं 3 बीएचके+स्टोर के 192 नग एवं गोमती एन्क्लेव, सेक्टर-8 में 2बीएचके+स्टोर 344 नग एवं 3 बीएचके+स्टोर के 104 नग का पंजीकरण दिनांक 05.11.2016 से 20.12.2016 तक प्रारम्भ किया गया था। उक्त पंजीकरण की अवधि 01.05.17 तक की गयी थी।

सरयू एवं गोमती एन्क्लेव के प्रकार के फ्लैट्स हेतु निम्नांकित आवेदकों द्वारा आन लाइन/आफ लाइन पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	आवेदक	आवेदित फ्लैट	पंजीकरण धनराशि	आवेदन प्रकार
1.	सुश्री पूनम यादव	सरयू एन्क्लेव 2बीएचके+स्टोर	2,24,000.00	आन लाइन
2.	श्री प्रशान्त चौहान	सरयू एन्क्लेव 2बीएचके+स्टोर	2,24,000.00	आन लाइन
3.	श्री प्रशान्त सिंह	सरयू एन्क्लेव 3बीएचके+स्टोर	2,24,000.00	आन लाइन
4.	श्री देवकान्त पाण्डेय	गोमती एन्क्लेव 2बीएचके+स्टोर	3,10,250.00	आन लाइन
5.	श्री मौलिक चित्रांश एवं सोमेश चन्द्र श्रीवास्तव	गोमती एन्क्लेव 3बीएचके+स्टोर	3,10,250.00	आन लाइन

मुख्य अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के प0सं0 2344/अभि0 दि 11.07.17 द्वारा गोमती एन्क्लेव के फ्लैट्स के निर्माण को यथास्थिति में रोक(Hold) दिया गया है, ऐसी स्थिति में जिन आवेदकों (क्रम सं0 4 एवं 5) द्वारा गोमती एन्क्लेव में आवेदन किया गया, उनसे सरयू एन्क्लेव में लिये जाने की सहमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बंधी विनियम यथासंशोधित-2016 भाग-1 पंजीकरण प्रस्तर-(5) में उल्लिखित प्राविधानों 'पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या प्रस्तावित श्रेणीवार सम्पत्तियों की संख्या से कम होने के फलस्वरूप उपर्युक्त क्रमांक 1 से 3 के आवेदकों को सरयू एन्क्लेव में पंजीकृत किया जाता है तथा अधिशासी अथभयंता, नि0खं0-7, लखनऊ द्वारा प्रेषित सरयू सरयू एन्क्लेव सेक्टर-7डी में 2बीएचके+स्टोर के एवं 3 बीएचके+स्टोर के नम्बरिंग प्लान प्राप्त होने के आधार पर सम्बंधित आवेदकों का मांग-पत्र निर्गत किया जाता है। क्रमांक 4 एवं 5 के आवेदकों की सहमति प्राप्त होते ही सरयू एन्क्लेव में उनका भी मांग-पत्र निर्गत किया जायेगा।

(आर0के0सिंह)

सम्पत्ति प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
2. उप आवास आयुक्त(लखनऊ जोन), मुख्यालय, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय वृत्त/अधिशासी अभियंता, नि0खं0-7/15, लखनऊ
4. उप आवास आयुक्त(सम्पत्ति), मुख्यालय।
5. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय को इस आशय से कि वेबसाइट पर उक्त सूचना डालवाने हेतु प्रेषित।

6. सम्पत्ति आदेश /

(आर0के0सिंह)

सम्पत्ति प्रबंधक, अना विहार